

बिहार सरकार

वित्त विभाग

विषय:- वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2140, दिनांक-28.02.2024 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को अनुमान्य LTC/HTC की सुविधा के संबंध में स्पष्टीकरण।

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2140, दिनांक-28.02.2024 की कंडिका-3(XII) द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के उपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-04/01/2024 को पारित आदेश के आलोक में LTC/HTC की सुविधा अनुमान्य है।

2. द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के उपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP(C) No. 643/2015 में दिनांक-04/01/2024 को LTC/HTC के संबंध में पारित आदेश की कंडिका-54(iv)(b) निम्नवत् है:-

"The other details such as class of travel, advance etc. shall be governed by the respective Rules/Orders of State/UTs."

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश को दृष्टिगत रखते हुए वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2140, दिनांक-28/02/2024 की कंडिका-3(XII)(e) के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्शोपरांत बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को अनुमान्य LTC/HTC के प्रावधानों को निम्नरूपेण स्पष्ट किया जाता है:-

- I. **ब्लॉक वर्ष:-** तीन वर्ष के एक ब्लॉक वर्ष की गणना दिनांक-01/01/2024 से की जाएगी। दिनांक-01/01/2024 के पहले, पूर्व के प्रावधानों के आलोक में उपभोग की गई LTC/HTC की सुविधा वर्तमान ब्लॉक वर्ष 2024-26 हेतु गणनीय नहीं होगी।

Dupuy 2025

II. LTC/HTC से संबंधित दावा की प्रतिपूर्ति निम्नरूपेण अनुमान्य होगी—

क्रम सं०	वेतन स्तर	वायुयान से यात्रा की अनुमान्य श्रेणी
1	J-7	Business Class
2	J-1 से J-6	Economy Class

4. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए LTC/HTC हेतु अन्य अनुमान्यताएँ पूर्व से लागू प्रावधानों के अनुरूप प्रभावी रहेंगे।

ह०/—

(डॉ० आशिमा जैन)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक—3ए-3-भत्ता-06/2024_____/वि०

पटना, दिनांक—_____

प्रतिलिपि—महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

(डॉ० आशिमा जैन)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक—3ए-3-भत्ता-06/2024_____/वि०

पटना, दिनांक—_____

प्रतिलिपि— महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

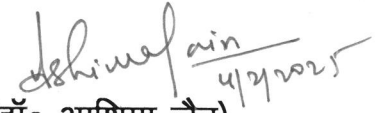
(डॉ० आशिमा जैन)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक—3ए-3-भत्ता-06/2024 1298 /वि०

पटना, दिनांक— 05-02-2025

प्रतिलिपि— सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग / सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(डॉ० आशिमा जैन)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।